

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए दीवानी न्यायालय हल्द्वानी में फोटो स्टेट मशीन चलाने हेतु भूमि की नीलामी की कार्यवाही अधोहस्तक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 05.06.2025 को समय साय 04:30 बजे दीवानी न्यायालय हल्द्वानी में की जाएगी।

अतः जो भी व्यक्ति वर्णित ठेके की बोली बोलना चाहे उक्त दिवस को नियत समय में दीवानी न्यायालय हल्द्वानी में उपस्थित होकर बोली बोल सकता है।

1. प्रत्येक बोलीकर्ता को बोली बोलने से पूर्व मुब. 2000/-रु. बतौर धरोहर धनराशि मय पहचान पत्र के नजारे कार्यलय, दीवानी न्यायालय हल्द्वानी में जमा करनी होगी। उक्त धरोहर राशि सर्वोच्च बोलीकर्ता को छोड़ कर अन्य को बोली समाप्त होने के बाद लौटा दी जाएगी।

2. बोली पूर्व में छूटी बोली का 10 प्रतिशत बढ़ाकर शुरू की जायेगी।

3. बोली स्वीकृत होने पर सर्वोच्च बोलीदाता को ठेके की 50 प्रतिशत धनराशि तुरंत जमा करना होगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि दो समान किस्तों में अगले दो माह में जमा करना होगा। ऐसा ना करने पर जमा धनराशि जब्त करते हुए बोली निरस्त कर दी जायेगी, तथा भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा।

4. माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा उक्त नीलामी को स्वीकृत करने के पश्चात सर्वोच्च बोलीकर्ता को मुब. 100/-रुपये के (स्टाम्प सर्वोच्च बोलीकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा) एक एग्रीमेंट माननीय जिला न्यायाधीश नैनीताल के नाम हस्ताक्षरित कर देना होगा, तथा विद्युत का कनेक्शन स्वयं ही सम्बन्धित विभाग से लेना होगा।

5. सर्वोच्च बोलीदाता को स्वीकृत किया गया लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा तथा स्थान का प्रयोग किसी भी रूप में अवैधानिक कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

6. सर्वोच्च बोलीदाता को नीलाम किये गये स्थान पर केवल कच्चा निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी व नीलामी की अवधि दिनांक 05.06.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक के लिए होगी। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को समय समय पर माननीय जिला जज महोदय द्वारा निर्गत समस्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

7. सर्वोच्च बोलीदाता को आवंटित स्थान पर संबंधित नगरनिगम अथवा अन्य विभागों के करों अथवा अन्य देयों की अदायगी स्वयं वहन करनी होगी विभाग किसी कर अथवा अन्य देय को जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च बोलीदाता/ठेकेदार को समस्त नियमों का पालन करना होगा, नियम उल्लंघन पर उसकी समस्त जिम्मेदार स्वयं सर्वोच्च बोलीदाता/ठेकेदार की होगी।

8. यदि आवंटित भूमि का ठेका बीच की अवधि में निरस्त किया जाता है, तो पुनः नीलामी की दशा में हुई राजस्व की कमी को प्रथम बोलीदाता से वसूल की जायेगी।

9. माननीय जिला जज नैनीताल के पास जनहित में तथा बिना कारण बताये किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। कर या लाइसेंस फीस जमा न करने की स्थिति में भी जिला जज महोदय द्वारा किसी भी समय लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त माननीय जिला जज नैनीताल के पास वर्ष के दौरान किसी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त करने तथा जमा की गयी समस्त धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का भी अधिकार होगा।

10. सर्वोच्च बोलीकर्ता द्वारा ठेके की अवधि में कार्य बन्द करने अथवा ठेकेदार की गलति के कारण ठेका निरस्त करने की स्थिति में राजस्व की हानि की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।

11. जिस बोली दाता की अन्तिम बोली स्वीकृत की जायेगी उसे अपनी फोटो स्टेट मशीन चालू हालत में रखनी होगी। खराब होने की दशा में तुरन्त दूसरी फोटो स्टेट मशीन की व्यवस्था करनी होगी ताकि जनहित के कार्य प्रभावित ना हो। इसके अतिरिक्त निम्न मूल्य पर फोटो कॉपी इत्यादि की जायेगी व रेट लिस्ट आवंटित स्थान पर आवश्यकीय रूप से हमेशा चस्पा की जायेगी।

12. निर्धारित दरों से अधिक वसूल किये जाने की दशा में, सुनवाई का अवसर देते हुए दोषी पाए जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। रेट लिस्ट इस प्रकार है।

1. कलर फोटो स्टेट -10 रुपये प्रति कॉपी

2. 6 पासपोर्ट साइज फोटो -40 रुपये प्रति कॉपी

3. प्रिन्ट आउट कंप्यूटर -10 रुपये प्रति कॉपी

4. नार्मल फोटो कॉपी ए4 साइज प्रति कॉपी-1 रुपये प्रति पृष्ठ, लीगल साइज प्रति कॉपी-2 रुपये प्रति पृष्ठ

13. ठेका प्राप्त ठेकेदार को अपनी दुकान गर्मियों में प्रातः 09:00 बजे से लेकर साय 06:00 बजे तक तथा सर्दियों में प्रातः 09:00 बजे से लेकर साय 5:00 बजे तक के निर्धारित समय पर ही खोलनी व बंद करनी होगी।

नीलामी के संबंध में सूचना किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से साय 04:00 बजे तक न्यायालय के डिप्टी नाजिर, दीवानी न्यायालय हल्द्वानी से मालूम की जा सकती है।

(कोषाधिकारी)

कोषागार हल्द्वानी
जिला नैनीताल।

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हल्द्वानी, नैनीताल।

(नीलम रात्रा)

द्वितीय अपर जिला जज
हल्द्वानी, नैनीताल।

(कंवर अमनिन्दर सिंह)

प्रथम अपर जिला जज
हल्द्वानी, नैनीताल।

प्रतिलिपि निम्न स्थानों पर प्रचार व प्रसार हेतु चस्पा की जाए :-

1- दीवानी न्यायालय हल्द्वानी के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर, मुख्य भवन के नोटिस बोर्ड पर।

2- तहसील हल्द्वानी के नोटिस बोर्ड पर।

3- नगर निगम हल्द्वानी के नोटिस बोर्ड पर।

✓ 4- जिला न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड।

SD/-

(कोषाधिकारी)

कोषागार हल्द्वानी
जिला नैनीताल।

SD/-

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हल्द्वानी, नैनीताल।

SD/-

(नीलम रात्रा)

द्वितीय अपर जिला जज
हल्द्वानी, नैनीताल।

SD/-

(कंवर अमनिन्दर सिंह)

प्रथम अपर जिला जज
हल्द्वानी, नैनीताल।